पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका
1864
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांकः 9195

Date / दिनांकः 25/05/2024

संचिका सं0– P/SHEIKHPURA/PRN-B+G+3/376/2018

संशोधित–पत्र

सेवा में,

मेसर्स बालाजी होम्स
निदेशक–श्री दीपक सागर
पिता–स्व० राजेन्द्र प्रसाद
पता–601, छठ्ठा फ्लोर, एग्जिविशन रोड, पटना।

विषय :– **प्लॉन केस सं0–P/SHEIKHPURA/PRN-B+G+3/376/2018 की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No-6053/2022 में दिनांक–07.08.2023 को पारित आदेश के आलोक में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No-6053/2022 में दिनांक–07.08.2023 को पारित आदेश के आलोक में भवदीय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में भवन के नक्शे की प्लॉन केस सं0–P/SHEIKHPURA/PRN-B+G+3/376/2018 के संदर्भ में **मेसर्स बालाजी होम्स,** निदेशक–श्री दीपक सागर, पिता–स्व० राजेन्द्र प्रसाद, पता–601, छठ्ठा फ्लोर, एग्जिविशन रोड, पटना, पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित .... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के .... म्यूनिसिपल सर्वे प्लॉट सं0–975(P) एवं प्लॉट सं0–1435(P), थाना नं0–9, खाता नं0–451, 457, तौजी नं0–5769, मौजा–SHEIKHPURA, पटना के बाबत निम्नलिखितशर्त्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से **आवासीय** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोंगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **991.80 वर्ग मीटर** का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **6.27 मीटर से 6.40 मीटर** चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को **(सड़क चौड़ीकरण –17.52 वर्ग मीटर)** चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) भवन उपविधि के कंडिका–09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/बिल्डर की होगी।

Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to five years from the date such a permission is granted.

Scanned with ACE Scanner

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ़) ग्रीन–एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप–विधि, 2014 के कंडिका–32 के अनुरुप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ण) नक्शा स्वीकृति के पश्चात् एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण कार्य के समय निर्माण स्थल को ढक कर रखेंगे तथा निर्माण सामग्री सड़क अथवा सार्वजनिक स्थल पर नहीं रखेंगे।

(त) आपको (दोनों ब्लॉको में) बेसमेंट तल में प्रावधानित 222.28 + 769.52 = 991.80 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान को पार्किंग उपयोग के लिए रखा जाना होगा और इसके किसी भाग पर किसी प्रकार का अन्य निर्माण अथवा उपयोग नहीं करना होगा।

विश्वासभाजन,

25/05/24

निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

Scanned with ACE Scanner